उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–75/2014–15

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बोकारो स्टील सिटी ब्रांच, बोकारो

बनाम्

मनमोहन चौहान एवं राम अनुप चौहान

–: आदेश :–

23.09.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बोकारो स्टील सिटी ब्रांच, बोकारो द्वारा धारा 14 (**1 and 2**) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मन मोहन चौहान एवं राम अनुप चौहान सा0–पटेल नगर, चास, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एव सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षो को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक आंफ इंडिया, बोकारो स्टील सिटी ब्रांच, बोकारो की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने प्रश्नगत सम्पत्ति (मौजा चास थाना सं0–30 खाता सं0–704, प्लॉट सं0–7575 रकवा–05) को गिरवी रखते हुए बैंक से रूपये 6,00,000.00 (छः लाख) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–30.09.2013 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT–2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भगं नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष की ओर से राम अनुप चौहान उपस्थित। उनके द्वारा कहा गया कि उन्होंने गृह निर्माण हेतु ऋण लिया था किन्तु उनके पुत्र ने शाखा प्रबंधक के बहकावे में आकर धोखाधड़ी करते हुए उक्त ऋण की राशि को अपने ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में लगा दिया और वह व्यावसाय डूब गया।

उसके बाद उनका पुत्र घर छोड़कार कहीं चला गया है। इसी कारण से ऋण की राशि वापस नहीं की जा सकी। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि वह सेल सेवानिवृत कर्मचारी है और वह ऋण चुकाने में असमर्थ है। अतः उन्होंने ऋण की सम्पूर्ण राशि को माफ करने एवं गिरवी रखे भूमि के पट्टे को वापस दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। उनके द्वारा दिये गए दलील का कोई ठोस आधार नहीं है। ऋण चुकाने के लिए कहे जाने पर उनकी ओर से कोई सकारात्मक जबाब नहीं दिया गया। जो उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

C. C. Issued Vide No. 5261 Dated 4/10/18

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा–14 (1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बोकारो स्टील सिटी ब्रांच, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के ग्राम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

C. C. Issued Vide No. 5439 Dated 24/10/18

तदनुसार संबंधित को सूचित करें ।

लेखापित एवं रांशोधित।

23.09.18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

23.09.18

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.27 17:44:58 +05:30
Location: 192.168.1.101